

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, जयपुर, राजस्थान

अरावली भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004 (राज.)

क्रमांक:- एफ 5 () एफ.सी.ए./मुवसंज/2020-21/3905

दिनांक:- 14/07/2021

निमित्त:-

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए
राजस्थान, जयपुर।

विषय:-डवलपमेन्ट ऑफ रोड मेहन्दीपुर बालाजी बाईपास के अन्तर्गत उदयपुरा से टोडाभीम
बाईपास सड़क निर्माण कार्य के प्रस्ताव संख्या एफ/पी/आरजे/ रोड/26222/2017
के संबंध में।

संदर्भ:-आप द्वारा ऑनलाइन जारी EDS दिनांक 29.06.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उप वन संरक्षक, दौसा ने उनके पत्रांक 5125 दिनांक 12.07.2021 द्वारा उप वन संरक्षक, दौसा कार्यालय से संबंधित आक्षेपों की पूर्ति कर पालना रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित की है। प्रकरण में संदर्भित EDS का प्रत्युत्तर बिन्दुवार निम्न है:-

1. उक्त आक्षेप की पूर्ति उप वन संरक्षक, दौसा के पत्रांक 5888 दिनांक 15.12.2020 द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित की गयी थी जो इस कार्यालय के पत्रांक 10 दिनांक 01.01.2021 के द्वारा आपको भिजवायी जा चुकी है।
2. इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
3. बिन्दु सं. 3 के क्रम में कार्या. पत्रांक 10 दिनांक 01.01.2021 एवं संलग्न प्रत्रादि पुनः प्रेषित है।
4. प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि एवं वन सीमा का मिलान उप वन संरक्षक, दौसा कार्यालय द्वारा कर लिया गया है।
5. उक्त सड़क निर्माण में काम आने वाली गैर वन भूमि डिम्ड फोरेस्ट की श्रेणी में नहीं आती है।

संलग्न:- उक्तानुसार।

भवदीय,



(के.सी. मीणा)

मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर, राजस्थान

क्रमांक:- एफ 5 () एफ.सी.ए./ मुवसंज/2020-21/

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- उप वन संरक्षक, दौसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

//
मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर, राजस्थान